

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
कार्यालय आदेश

सू०को०उद्योग(01)-02/06.....²¹⁶ / श्री आनन्द कुमार वर्द्धन, उप उद्योग निदेशक, (तकनीकी) के स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्री जयनाथ मिश्र, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3(स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उद्योग विभाग का अगले आदेश तक सहायक लोक सूचना पदाधिकारी अभिहित (Designate) किया जाता है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक सू०को०उद्योग(01)-02/06..... पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- श्री जयनाथ मिश्र, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3(स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक सू०को०उद्योग(01)-02/06..... पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, सरकार/संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्योग/ह०रे०/तकनीकी विकास/खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक सू०को०उद्योग(01)-02/06.....²¹⁶ पटना, दिनांक.....^{16/6/2015} -
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि विभागीय वेबसाईट के 17 मेनुअल में संसूचित किया जाय ।

³²⁰⁴⁴
16/6/2015

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।